पत्रांकः–भवन–12 / अभि0प्र0(यो0)–02–विविध–09 / 2026.....

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांकः–.....

विषयः– भवन निर्माण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के नियमित निरीक्षण करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत कार्यालयों यथा– मुख्य अभियंता का कार्यालय, अधीक्षण अभियंता का कार्यालय एवं कार्यपालक अभियंता का कार्यालय का नियमित निरीक्षण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह एवं अधीक्षण अभियंता अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक तीन माह पर करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी को ससमय उपलब्ध कराया जाना है। इस क्रम में कार्यपालक अभियंता अपने अधीनस्थ कार्यालयों का प्रथम निरीक्षण माह अक्टुबर में एवं अधीक्षण अभियंता अपने अधीनस्थ कार्यालयों का प्रथम निरीक्षण माह दिसंबर में किया जाना है।

अतः उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 / –

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– भवन–12 / अभि0प्र0(यो0)–02–विविध–09 / 2026 10095(A) पटना, दिनांकः– 27/10/26

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.10.26

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।